

आवंटन/नीलामी तिथि
22 जुलाई 2016
प्रातः 11:00 बजे

हमारा प्रयास  आपका आवास



परिषद के मेरठ जोन के अन्तर्गत मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, खतौली तथा मुजफ्फरनगर में आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्तियों का श्रावंटन/नीलामी

आवंटन/नीलामी स्थल : सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, जागृति विहार, मेरठ

आवंटन से निस्तारित होने वाले आवासीय भूखण्ड

भवन/भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	भूमि दर फ्री होल्ड सहित (प्र०व०मी०)	अनुमानित मूल्य (लाख में) प्रति नग	पंजीकरण धनराशि
माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : आवासीय भूखण्ड (02 नग)				
4/895 (GEN), 4/898 (OBC)	62.72	13440.00	842957	46400

नीलामी से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ

भवन/भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	भूमि दर (प्र०व०मी०)	अनुमानित मूल्य (लाख में) प्रति नग	पंजीकरण धनराशि
अशोक विहार योजना, खतौली : 80 वर्ग मी० से बड़े आवासीय भूखण्ड (02 नग)				
B-128 (OBC)	295.22	7840.00	23.15	1.16
A-129 (GEN)	264.00	7840.00	20.70	1.04
अशोक विहार योजना, खतौली : 53/127 प्रकार के मध्यम आय वर्ग भवन (01 नग)				
D-128 (GEN)	127.50	-----	18.65	0.94
अशोक विहार योजना, खतौली : आश्रय भूखण्ड (02 नग)				
F-256/2 (OBC)	44.20	7840.00	3.47	0.18
F-151/1 (OBC)	31.50	7840.00	2.47	0.13
माधवपुरम, योजना संख्या-10, मेरठ : 81 व०मी० से बड़े भूखण्ड सेक्टर-2 (02 नग)				
2/258 (GEN) (Sr. CITIZEN)	171.00	13440.00	2298240.00	115000
2/259 (SC)	171.00	13440.00	2298240.00	114912
शाकुन्तलम योजना, मुजफ्फरनगर : 53/127 प्रकार के मध्यम आय वर्ग भवन (02 नग)				
108 (Corner)	181.65	-----	38.19	1.91
114	127.50	-----	27.03	1.36

लाटरी ड्रा के माध्यम से आवंटित होने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ

भवन/भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	भूमि दर (प्र०व०मी०)	अनुमानित मूल्य (लाख में) प्रति नग	पंजीकरण धनराशि
शाकुम्भरी विहार, सहारनपुर: 18/40 प्रकार के दुर्बल आय वर्ग भवन (01 नग)				
2B-186 (OBC) (SR. CITIZEN)	42.33	-----	7.24	0.37

नोट- (1) आरक्षित वर्ग की सम्पत्तियाँ हेतु सम्बन्धित आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। (2) आरक्षित वर्ग की सम्पत्तियाँ हेतु आरक्षित वर्ग के आवेदकों द्वारा नीलामी में भाग न लिये जाने की दशा में सामान्य वर्ग के आवेदक नीलामी में भाग ले सकते हैं। (3) शाकुम्भरी विहार योजना, सहारनपुर में स्थित 12 नग नवविकसित व्यवसायिक भूखण्डों को आवंटन हेतु प्रथम बार ऑफर किया गया है। नियमानुसार इन 12 व्यवसायिक भूखण्डों का आरक्षण भी शासनादेश के अनुसार लाटरी ड्रा द्वारा निर्धारित किया जायेगा, ताकि निस्तारण हेतु सम्पत्तियों को आगामी नीलामी में रखा जा सके।

नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियाँ

भवन/भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	भूमि दर फ्री होल्ड सहित (प्र०व०मी०)	आरक्षित मूल्य (लाख में) प्रति नग	पंजीकरण धनराशि
अशोक विहार योजना, खतौली : व्यवसायिक भूखण्ड (08 नग)				
B.Com-2 (OBC)	85.79	18745.00	16.09	1.61
B.Com-3 (GEN)	78.20	18745.00	14.66	1.47
B.Com-4 (GEN)	78.20	18745.00	14.66	1.47
B.Com-5 CORNER (GEN)	88.32	20620.00	18.22	1.83
B.Com-6 CORNER (SC)	154.95	20620.00	31.96	3.20
B.Com-7 (OBC)	128.92	18745.00	24.17	2.42
B.Com-8 (SC)	140.17	18745.00	26.28	2.63
B.Com-9 (GEN)	166.35	18745.00	31.19	3.12

उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर. 1.20, ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत 40% तथा अधिकतम ऊँचाई उपविधि के अनुसार है।

संपत्ति की संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	भूमि दर फ्री होल्ड सहित (प्र०व०मी०)	आरक्षित मूल्य (लाख में) प्रति नग	टोकन मनी (रु० लाख में)
पठानपुरा योजना संख्या-1 (विवेक नगर), सहारनपुर : दुकान (02 नग)				
S-19 (GEN)	9.62	-----	5.28	0.53
S-20 (GEN)	14.196	-----	7.68	0.77
मंगलपाण्डे नगर, योजना संख्या-1, मेरठ : व्यवसायिक भूखण्ड सेक्टर-1 (01 नग)				
481 (Sec.-1)	278.75	58240.00	16234400	1623440
शास्त्रीनगर योजना संख्या-3, मेरठ : व्यवसायिक भूखण्ड (आई ब्लॉक) (01 नग)				
I.S.-116/2	128.00	42560.00	5447680	544768
शास्त्रीनगर योजना संख्या-3, मेरठ : व्यवसायिक भूखण्ड (एल ब्लॉक) (01 नग)				
L-1185/2 (Corner)	77.76	46816.00	3640412	364041

उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर. तथा ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत उपविधि अनुसार तथा अधिकतम ऊँचाई 10.50 मी. है।

शास्त्रीनगर योजना संख्या-3, मेरठ : दुकानें के ब्लॉक (12 नग)				
K-1	8.062	-----	930216	93022
K-2, 3, 4, 10, 12, 15, 16	9.099	-----	1049868	104987
K-17, 18, 22, 25	8.131	-----	938177	93818
माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : मल्टीप्लेक्स भूखण्ड (01 नग)				
मल्टीप्लेक्स भू० 2/M.P.-01 Corner	7300.00	29568.00	215846400	21584640

माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : व्यवसायिक भूखण्ड सेक्टर-3 (01 नग)				
2 CP-1 2PR-1 पार्किंग हेतु	1701.50+203.50 =1905.00	29568.00	56327040	5632704

जागृति विहार योजना संख्या-11, (विस्तार) मेरठ : ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (02 नग)				
2/GH-1 (Corner) (GEN)	10400.00	25872.00	269068800	26906880
2/GH-2 (Corner) (GEN)	11000.00	25872.00	284592000	28459200

उपरोक्त सम्पत्तियों में एफ.ए.आर., ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत तथा अधिकतम ऊँचाई उपविधि अनुसार है।

शाकुम्भरी विहार, सहारनपुर : होटल भूखण्ड (01 नग)				
2A/H-1 (Corner) (GEN)	8088.40	27104.00	2192.28	219.23

उपरोक्त सम्पत्ति में एफ.ए.आर. 1.50 तथा ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत 40% है।

नोट : (1) माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ में व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-2सीपी-1 जिसका क्षेत्रफल 1701.50 व० मी० है जिस पर उपविधि के अनुसार मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा तथा 2पीआर-1 जिसका क्षेत्रफल 203.50 व.मी. है, व्यवसायिक भूखण्ड सं. -2सीपी-1 के साथ पार्किंग हेतु उपलब्ध है जिस पर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। (2) मंगलपाण्डे नगर योजना संख्या-1, मेरठ स्थित 03 नग नवविकसित व्यावसायिक भूखण्डों, शास्त्रीनगर योजना संख्या-7, मेरठ स्थित नवविकसित 15 नग व्यावसायिक भूखण्डों एवं माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ स्थित 19 नग आवासीय एवं 27 नग व्यावसायिक भूखण्डों का आरक्षण शासन/परिषद नियमानुसार आवंटन स्थल पर आवंटन समिति के समक्ष किया जायेगा।

आवश्यक सूचना :- परिषद के आवंटियों/ग्राहकों की शिकायतों/समस्याओं के निस्तारण हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रत्येक माह के तृतीय बुधस्मतिवार को "परिषद दिवस" का आयोजन जोनल कार्यालय एवं परिषद के लखनऊ स्थित मुख्यालय कार्यालय पर प्रातः 10:00 से 12:30 तक किया जाता है। अवकाश की दशा में परिषद दिवस का आयोजन अगले कार्य दिवस में होगा।

नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियाँ

सेक्टर भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का स्तर	क्षेत्रफल (वर्गमी०)	वर्तमान भूमिदर+लीज़रेंट+ कार्नर शुल्क (कार्नर की स्थिति में)	भूखण्ड का मूल्य (रु० में)	पंजीकरण धनराशि रु० लाख में
माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : शैक्षिक भूखण्ड (03 नग)					
3NS-1 (Sec-3)	PRIMARY	1691.70	12000+1200+1200 = 14400/-	24360480.00	2436048.00
3NS-3 (Sec-3)	NURSERY	894.00	12000+1200+1200 = 14400/-	12873600.00	1287360.00
(Sec-4)	PRIMARY	1575.00	12000+1200+1200 = 14400/-	22680000.00	2268000.00
सेक्टर भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का स्तर	क्षेत्रफल (वर्गमी०)	वर्तमान भूमि का 50 प्रतिशत+लीज़रेंट +कार्नर शुल्क (कार्नर की स्थिति में)	भूखण्ड का मूल्य (रु० में)	पंजीकरण धनराशि रु० लाख में

जागृति विहार योजना संख्या-11 (विस्तार), मेरठ : शैक्षिक भूखण्ड नवविकसित (02 नग)					
3/School-1	INTER	4862.50	7500+750 = 8250/-	40115625.00	4011600.00
3/School-3	INTER	12200.00	7500+750 = 8250/-	100650000.00	10065000.00

शाकुम्भरी विहार योजना, सहारनपुर : स्कूल भूखण्ड (लीज पर) (01 नग)					
SCHOOL (GEN)	PRIMARY	1844.94	13310/-	24557000.00	2456000.00

सिद्धार्थ विहार/मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद में रिक्त शिक्षण संस्थाओं के भूखण्डों का विवरण

सेक्टर	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमी०) (अनुमानित)	वर्तमान आवासीय भूमिदर प्रति वर्ग मी०	वर्तमान आवासीय भूमिदर का 50 प्रतिशत प्रति वर्ग मी०	कार्नर शुल्क 10 प्रतिशत	लीज रेन्ट 10 प्रतिशत	लीज़रेंट व कार्नर शुल्क सहित आरक्षित भूमिदर प्रति वर्ग मी०	स्कूल भूखण्ड का मूल्य (रु० में)	पंजीकरण हेतु टोकन धनराशि कुल मूल्य का 10 प्रतिशत
--------	---------------	--------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------	----------------------	--	---------------------------------	--

सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद : शैक्षिक भूखण्ड (02 नग)									
09	HS-01(C)	3759.55	32500.00	16250.00	1625.00	1788.00	19663.00	73924032.00	7392500.00
07	SCH-01(C)	1677.80	32500.00	16250.00	1625.00	1788.00	19663.00	32990581.00	3299100.00

मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद : शैक्षिक भूखण्ड (04 नग)									
05	Primary School	1047.00	23000.00	11500.00	1150.00	1265.00	13915.00	14569005.00	1456900.00
04	High School	2061.30	23000.00	11500.00	1150.00	1265.00	13915.00	28682990.00	2868300.00
04	Primary School	1623.97	23000.00	11500.00	1150.00	1265.00	13915.00	22597543.00	2259800.00
05	Primary School	1287.00	23000.00	11500.00	1150.00	1265.00	13915.00	17908605.00	1790860.00

नोट- उपरोक्त समस्त सम्पत्तियों में एफ०ए०आर०, अधिकतम ग्राउण्ड कवरेज एवं अधिकतम ऊँचाई उपविधि के अनुसार है। तालिका में उल्लिखित भूमिदर/मूल्य वर्तमान में प्रभावी भूमिदर के आधार पर आगणित है। पात्रता चयन के उपरान्त भूमिदरों में वृद्धि की दशा में नीलामी की दिनांक को प्रभावी भूमिदरों के आधार पर मूल्य निर्धारित होगा तथा तदनुसार भुगतान करना होगा।

नोट:- शैक्षिक भूखण्डों हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित सम्पत्ति कार्यालय से प्रकाशन तिथि से एक माह के अन्दर प्राप्त/जमा कर सकते हैं।

वसुन्धरा योजना/सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद की व्यवसायिक/आवासीय सम्पत्तियों को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में व्यवसायिक भूखण्ड/आफिस कम कामर्शियल, संस्थागत भूखण्ड, नर्सिंग होम भूखण्ड/ सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड/ हेल्थ सेन्टर भूखण्डों एवं आवासीय भवन (दो मंजिले) सम्पत्तियों का विवरण

भूखण्ड संख्या	भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित दर (रु०) प्र०व०मी०	टोकन धनराशि (रु०)
वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद : अनावासीय सम्पत्तियाँ					
व्यावसायिक भूखण्ड 15/C.P.-51 16A/S.C.P.-13	2	10.00 से 31.83	GEN	93632.00 से 94080.00	94100.00 से 298100.00
नवविकसित व्यावसायिक भूखण्ड 6/COMM.-1D-A 6/COMM.-1D-B 6/COMM.-1D-C 6/COMM.-1E (CORNER)	4	787.75 से 1722.41	GEN	94080.00 से 103488.00	7411200.00 से 16204450.00
संस्थागत भूखण्ड 4/I.N.S.-6, 4/I.N.S.-12	2	3657.50 से 4068.31	GEN	70560.00 से 77616.00	25807400.00 से 31576600.00
होटल भूखण्ड 4/H-1	1	3558.30	GEN	103488.00	36824200.00
सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड Sector-4	1	1038.00	GEN	50820.00	5275200.00
नर्सिंग होम भूखण्ड 2A/N.H.-2	1	1026.00	GEN	70560.00	7239500.00
हैल्थ सेन्टर भूखण्ड Sec-1 3/HC	2	3432.75 से 5232.52	GEN	70224.00 से 70560.00	24221500.00 से 36744900.00

सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद : अनावासीय सम्पत्तियाँ					
नर्सिंग होम भूखण्ड 9/N.H.-1	1	3090.11	GEN	54600.00	16872000.00

वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद : आवासीय सम्पत्तियाँ : दो मंजिला एफ-60 प्रकार (भूतल) आवासीय भवन					
16B/233, 16B/236, 16B/237, 16B/240	4	98.68 से 218.35	GEN	5389800.00 से 11019100.00	269490.00 से 550955.00

नीलामी हेतु प्रमुख शर्तें : (1) व्यवसायिक सम्पत्तियों में एफ०ए०आर० 1.2, संस्थागत भूखण्ड, नर्सिंग होम, सामुदायिक केन्द्र भूखण्डों में एफ०ए०आर० 1.5 निर्धारित है एवं सम्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद से प्राप्त की जा सकती है। (2) सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम व आदेशों के अनुरूप सम्पन्न की जायेगी। इच्छुक क्रेताओं को अनावासीय/आवासीय सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य की टोकन धनराशि उपरोक्तानुसार एवं कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर तदनुसार बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अथवा पे-आर्डर जो कि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद के पक्ष में देय हो आवेदन फार्म भरकर खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं, सील्ड बिड कार्यालय कार्यदिवस में नीलामी से एक दिन पूर्व तक सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, गाजियाबाद में दी जा सकती है। टोकन नीलामी के दिन प्रातः 10:00 बजे से नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व तक निर्गत किये जायेंगे। संस्थागत भूखण्डों की नीलामी में केवल संस्थाओं द्वारा ही प्रतिभाग किया जा सकता है। सम्पत्तियों की संख्या/क्षेत्रफल में कमी/वृद्धि हो सकती है। व्यावसायिक भूखण्डों में आरक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति नीलामी से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवासीय सम्पत्ति के आवेदकों को अपने आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके पति/पत्नी/अवयस्क बच्चों के पास कोई भवन/भूखण्ड गाजियाबाद शहर में नहीं है तथा उ०प्र० के किसी अन्य नगर में एफ से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है। विज्ञापन व्यय प्राप्त उच्चतम बोली का 0.25 प्रतिशत अलग से लिया जायेगा। सम्पत्ति का कब्जा 50 प्रतिशत धनराशि जमा होने के उपरान्त शासनादेश के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी जमा करने पर पंजीकृत अनुबन्ध के माध्यम से दिया जायेगा। नीलामी पुस्तिका रु० 100.00 का भुगतान कर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय सेक्टर-16ए, वसुन्धरा काम्प्लेक्स हाल एफ-1, गाजियाबाद से प्राप्त कर सकते हैं। आवास आयुक्त महोदय को बिना कोई कारण बताये बोली अस्वीकृत करने का अधिकार होगा एवं किसी भी विवाद की दशा में आवास आयुक्त (म०) का निर्णय अन्तिम होगा।

व्यवहारे/दुकानें (विस्थापित): वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में विस्थापित श्रेणी में दुकानों हेतु पंजीकृत आवेदकों के मध्य सहमति के आधार पर लाटरी ड्रा द्वारा आवंटन उपरोक्त दिनांक एवं स्थल पर किया जायेगा। परिषद द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार दुकानों का आवंटन मूल मूल्यांकन की पद्धति (दुकानों का निर्माण मूल्य स्वीकृत मूल्यांकन के अनुसार व वर्तमान भूमि दर लेकर) के अनुसार आवंटित की जायेगी।

नोट:- सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-7सी में नवसृजित 08 नग व्यावसायिक भूखण्डों का आरक्षण भी किया जायेगा।

नोट:- आरक्षित वर्ग की सम्पत्तियों हेतु सम्बन्धित आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

आवास आयुक्त

परिषद से सम्बन्धित समस्या हमसे करें



जनसुविधा केन्द्र

परिषद से समस्या के निराकरण हेतु डायल करें

1800-180-5333 (टोल फ्री) 0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.com>; E-mail : info@upavp.com

भारतीय मानक चिह्न IS 15700



ISIRI